पत्र संख्या–13/विविध–04/2016सा0............../

अतिमहत्त्वपूर्ण
बैठक

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राम बिशुन राय,
सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव
बिहार,पटना।

पटना–15, दिनांक फरवरी, 2017

विषय :– मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय वैधिक शक्ति प्रदत्त समिति की सेवांत लाभ/प्रोन्नति/विभागीय कार्यवाही एवं सभी निगरानी वादों से उद्भूत विभागीय कार्यवाही से संबंधित समीक्षात्मक बैठक हेतु प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय वैधिक शक्ति प्रदत्त समिति की सेवांत लाभ/प्रोन्नति/विभागीय कार्यवाही एवं सभी निगरानी वादों से संबंधित अनुशासनात्मक कार्रवाई की समीक्षात्मक बैठक प्रत्येक माह के द्वितीय बुधवार को सभी विभागों के साथ अपराह्न 03.00 बजे मुख्य सचिवालय स्थित सभाकक्ष में निर्धारित है । माह मार्च, 2017 की उक्त बैठक दिनांक 08.03.2017 को अपराह्न 03.00 बजे मुख्य सचिवालय स्थित सभाकक्ष में आयोजित की जायेगी । ज्ञातव्य हो कि उपर्युक्त बैठक से संबंधित विभागों के प्रतिवेदन बैठक के ही दिन उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप समेकित प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं हो पाता है।

अनुरोध है कि उक्त समीक्षात्मक बैठक हेतु अपने विभाग का निम्नलिखित मात्र समेकित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में ही दिनांकः– 01.03.2017 तक निश्चित रूप से इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाये, साथ ही उक्त निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर आयोजित बैठक में भाग लेने की कृपा की जाये।

1. सेवांत लाभ से संबंधित समेकित प्रतिवेदन
2. विभागीय कार्यवाही से संबंधित समेकित प्रतिवेदन
3. प्रोन्नति से संबंधित समेकित प्रतिवेदन
4. निगरानी वादों में अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित समेकित प्रतिवेदन।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये ।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(राम बिशुन राय)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–13/विविध–04/2016सा0.....34...../पटना–15, दिनांक 22 फरवरी, 2017

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, सामान्य भविष्य निधि निदेशालय, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

22/2/17

सरकार के अवर सचिव।